संख्या–646ए/सत्तर–5–2009–41(1)/07

प्रेषक,

डा0 रामानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर, 2009

विषय:– महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 में सम्बद्धता की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/1400/2009 दिनांक 22–4–2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (यथा संशोधित) 1973 की धारा–37 (2) के अधीन महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 विषय/पाठ्यक्रम में दिनांक 1–7–2008 से इस शर्त के साथ सम्बद्धता प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करेगा तथा उसकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगा एवं परिषद द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

भवदीय,

(डा0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या–646ए(1)/सत्तर–5–2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3– प्राचार्य, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई।
4– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(डा0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।